न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 61/2024 निर्णय दिनांक 02.8.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/142

लिछुड़ी उर्फ तुलछादेवी (पूर्व पत्नी रावताराम) पत्नी मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजस्व तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादिनी की ओर से
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 35 बीघा 18 बिस्वा वाकेरोही मोमासर की खातेदारी भगवानीया पुत्र मौजा कौम जाट भाभू निवासी मोमासर के नाम से रही है तथा खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 4 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 421 तादादी 41 बीघा 14 बिस्वा वाकेरोही मोमासर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी भगवानीय, रावतीया पुत्रगण मौजा कौम जाट भांभू के नाम से तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी हरखीया पुत्र जगरूप जाति जाट भांभू निवासी मोमासर के नाम से रही है। खातेदार भगवानीया, रावतीया व हरखीया लावल्द फौत होने पर खसरा नम्बर 9, 421 व 425 की खातेदारी उसके नजदीकी वारिस भाई स्व. रावताराम की पत्नी लिछुड़ी व पुत्र सहीराम के नाम से जरिये इन्तकाल संख्या 584 व 585 दिनांक 26.04.1975 को दर्ज हो गई। फिर सन् 1977 में सहीराम पुत्र रावताराम भी लावल्द फौत हो गया तो खसरा नम्बर 425 की खातेदारी अकेली लिछुड़ी पत्नी रावताराम के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 671 दिनांक 03.10.1977 को तथा खसरा नम्बर 9, 421 की खातेदारी भी अकेली लिछुड़ी पत्नी रावताराम के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 672 दिनांक 03.10.1977 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 425 के नये खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 के नये खसरा नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 9 के नये खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर कायम हो चुके है। मु० लिछुड़ी को अपने घरं, परिवार, समाज में तुलछादेवी के नाम से जाना व पुकारा जाता था। समय की मार के साथ वादिनी के सभी वारिसों की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी ने अपने नजदीकी परिवार के व्यक्ति नोटाराम पुत्र गौरूराम जाति जाट भांभू निवासी मोमासर के साथ नाता कर लया और जब सन् 1995 के बाद सरकारी दस्तावेज बनने शुरू हुए तो [illegible] दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, निर्वाचन आंयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादिनी का नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम अंकित करा दिया गया जो आज तक [illegible] चला आ रहा है। यानि वादिनी का वर्तमान में सही व वास्तविक व सरकारी दस्तावेजात के अनुसार वादिनी का नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम भांभू (जाट) है । वादिनी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पंचायत मोमासर द्वारा भी प्रमाण पत्र निांक 2.04.2024 को जारी किया है। उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादिनी के नाम वादिनी के पूर्व पति रावताराम की मृत्यु के बाद जरिये विरासतन दर्ज हुई है। विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम दर्ज किया गया जो कि सही दर्ज किया गया था परन्तु वादिनी का शुरू में बोलता नाम तुलछादेवी भी था तथा वादिनी को घर, परिवार, समाज में तुलछा के नाम से ही पुकारते थे, फिर वादिनी के सभी वारिसों की मृत्यु हो गई तो वादिनी ने मोटाराम पुत्र गौरूराम जाट के साथ नाता कर लिया व अपना पुराना बोलता नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य तमाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करवा दिया जो आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादिनी के राजस्व रिकार्ड के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 18, 611, 615 कुल तादादी 20.6500 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में वादिनी का आज भी लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित चला आ रहा है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक तथा प्रशासनिक दस्तावेजों में तुलछादेवी पत्नी मोटाराम नाम अंकित है जिसको वादिनी राजस्व रिकार्ड में भी सही रूप से घोषित करवाकर शुद्धि करवाना चाहती है जिसके लिए यह घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिनी शुरू से ही बोलता नाम तुलछादेवी रहा है तथा वादिनी ने फिर मोटाराम से नाता कर लिया तो वादिनी का नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम अंकित करा दिया गया अब केवल राजस्व रिकार्ड में वादिनी का पुराना नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित चला आ रहा है। वादिनी के अन्य तमाम दस्तावेजों में तुलछादेवी अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। लिछुड़ी पत्नी रावताराम व तुलछादेवी पत्नी मोटाराम एक ही महिला का नाम है तथा गांव मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में लिछुड़ी पत्नी रावताराम व तुलछादेवी पत्नी मोटाराम जाति जाट भांभू के नाम की अन्य कोई महिला नहीं है। वर्णित खसरान भूमि पर वादिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादिनी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपने लिछुड़ी पत्नी रावताराम की जगह अपना सही नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम अंकित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है । उपरोक्त खसरान भूमि में वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित होने व वादिनी के अन्य दस्तावेजों में तुलछादेवी पत्नी मोटाराम नाम अंकित होने के कारण वादिनी को उपरोक्त खसरान भूमि पर के.सी.सी.बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खेतों में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादिनी ने दिनांक 03.04.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम मेरे समस्त अन्य सरकारी दस्तावेजों में तुलछादेवी पत्नी मोटाराम चला आ रहा है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मुझ वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित है, आप राजस्व रिकार्ड में चल रहे मेरे नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम की जगह मेरा सही नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर देवे तथा मेरे उक्त नाम की घोषणा कर देवें तो प्रतिवादी ने वादिनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादिनी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादिनी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की वादिनी काबिज काश्तकार होने से वादिनी को वादाधार हासिल है तथा प्रतिवादी ने उक्त खसरान भूमि में वादिनी के नाम की शुद्धि करने से दिनांक 03.04.2024 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेतों में वादिनी का नाम सहीं अंकित नहीं होने से वादिनी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम दुरूस्त किया जाकर वादिनी के सही नाम की घोषणा की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी के दर्ज नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम की जगह तुलछादेवी पत्नी मोटाराम अंकित किया जाकर दुरुस्ती किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। तनकीहात कायम की गई। तनकी संख्या 01 वादिनी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 02 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किया गया। बयान ग्वाह करवाये गये। वादिनी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवायें गये। प्रतिवादी को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। जिरह प्रति[illegible]य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधि...
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २.८.२०२४ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

लिछुड़ी उर्फ तुलछादेवी (पूर्व पत्नी रावताराम) पत्नी मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —वादिनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजस्व तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। — प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 61/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 02.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 10.5500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 615 तादादी 9.0800 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम लिछुड़ी पत्नी रावताराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम तुलछादेवी पत्नी मोटाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 02 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ